न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/862/2005/गंगानगर

1– अमरजीत कौर बेवा तारासिंह पुत्रवधु करतार सिंह
2– गुरसेवक सिंह पुत्र तारासिंह पौत्र करतार सिंह, सभी जाति जट सिक्ख निवासीगण 57 जी.बी. तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

------ अपीलांट

बनाम

1– बलबीरसिंह पुत्र गुलजार सिंह
2– गुरमेज कौर
3– चरण कौर
4– जगिन्द्र कौर
5– मिन्द्रकौर
6– वीरो
7– शीरो, सभी जाति रामगढ़िया सिक्ख निवासी वार्ड नं0 2 अनुपगढ़ तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
8– छिन्द्र कौर पुत्री तारासिंह जाति जाति जट सिक्ख निवासीगण 57 जी.बी. तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
9– सिमरजीत कौर पत्नी वगीचा सिंह पुत्री तारासिंह जाति जट सिक्ख निवासी पखीगांव सिडवी जिला अमृतसर पंजाब।
10– राजस्थान सरकार।

------ रेस्पो0

खण्ड पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री आर.एस. बराड़, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय **दिनांक :– 10.12.2024**

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर अपील संख्या 124/2001 में पारित निर्णय दिनांक 16–02–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के समक्ष वादीगण के नाम अमल दरामद करने और बेदखली बाबत् प्रस्तुत किया। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको विचारण न्यायालय ने दिनांक 24–04–2001 को स्वीकार कर वादपत्र को अस्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध वादीगण की ओर से विद्धान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के यहां अपील प्रस्तुत की गई जिसको अपीलीय न्यायालय द्धारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी को राज0उप0अधि0 की धारा 13–ए. की अवहेलना में बहक सरकार रिज्युम किये जाने के आदेश दिये गये जिसके विरूद्ध प्रतिवादी तारासिंह के वारिसान द्धारा उपरोक्त अपील प्रस्तुत की गयी और रेस्पोडेन्ट की ओर से क्रोस ऑब्जेक्शन फाईल किये गये जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3– अपीलांट के विद्धान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विद्धान अपीलीय न्यायालय द्धारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। विद्धान अपीलीय न्यायालय द्धारा राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट की धारा 13 की अवहेलना मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है एवं विवादित आराजी को बहक सरकार रिज्युम किये जाने के आदेश दिये हैं जो कि क्षेत्राधिकार विहिन आदेश है। विद्धान अपीलीय न्यायालय द्धारा पारित निर्णय नॉन स्पीकिंग है। अपीलांट के बाबा करतारसिंह द्धारा उक्त विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 06–05–1968 द्धारा रेस्पोडेन्ट सं0 1 ल0 7 के पिता गुलजार सिंह से खरीद की है एवं वक्त खरीद से ही रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर अपीलांट खातेदार काश्तकार काबिज है। पूर्व से आज दिनांक तक धारा 13–ए. या अन्य नियमों के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही अपीलांट के विरूद्ध नहीं की गयी है। विद्धान अपीलीय न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्धान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर का निर्णय दिनांक 16–02–2005 निरस्त करते हुए विद्धान

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–04–2001 बहाल रखने का अनुरोध किया।

4– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 सं0 7 ने अपने क्रॉस ऑब्जेक्शन को दोहराते यह निवेदन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर और उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण को विचारण हेतु रिमाण्ड किया जावें। साथ ही उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2022 सी0आई0वी0सी0सी0 पेज 609, ए.आई.आर. 2016 पेज 3282, 2018 एस.सी.सी. पेज 644, 1998 ए0आई0आर0 पेज 1400, 2023 सी0आई0वी0सी0सी0 पेज 770, 2012 एस0सी0सी0 पेज 329 एवं 2011 आर0बी0जे0 पेज 625 के न्याय दृष्टान्त पेश किये।

5– प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। क्रोस ऑब्जेक्शन जो रेस्पो0 की ओर से फाईल की गयी है जो देरी से प्रस्तुत की गयी है और साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। देरी से पेश करने का कारण बताया गया है। आरम्भिक स्तर पर अपने अधिवक्ता और अपीलांट के बीच में गलत समझ की वजह से केवल वकालतनामा पेश किया लेकिन क्रोस ऑब्जेक्शन फाईल नहीं कर पाये, फिर नये अधिवक्ता को नियुक्त करने पर यह चीज जानकारी में आयी, इसके बाद क्रोस ऑब्जेक्शन फाईल की गयी। उपरोक्त कारणों से व प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त की रोशनी में देरी को माफ करते हुए क्रोस ऑब्जेक्शन को इस अपील के निस्तारण में विचार पर रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6– प्रकरण के तथ्यों के अनुसार सन् 1964 में रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 7 के पिता स्व0 गुलजारसिंह के नाम वादग्रस्त 25 बीघा भूमि का आवंटन सन् 1964 में हुआ और दिनांक 06–05–1968 में उपरोक्त भूमि का रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी/अपीलांट के पिता के पक्ष में निष्पादित कर दिया। जिस आधार पर विचारण न्यायालय ने दावे को अस्वीकृत कर दिया और अपीलीय न्यायालय ने चूंकि बयनामा आवंटन की शर्तो के विपरीत था। इसलिए उनके द्वारा राज0उप0अधि0 की धारा

13–ए. की अवमानना मानते हुए वादग्रस्त भूमि को सरकार के हक में रिज्युम किये जाने के आदेश दिये। विद्वान अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपील में विचारणीय विषय यह था कि क्या उपरोक्त वाद को आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिसम्मत अस्वीकार किया गया या नहीं। जबकि इस संबंध में विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष ना देते हुए धारा 13–ए. की अवहेलना मानकर भूमि राज्य सरकार को रिज्युम करने का आदेश दिया जो विद्धान अपीलीय न्यायालय ने विवाद बिन्दु की परिधि के बाहर जाकर निष्कर्ष पारित किया गया जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 को स्वीकार कर वाद को अस्वीकृत करने का प्रश्न है। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट की ओर से अपने क्रोस ऑब्जेक्शन के समर्थन में जो न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं, उनसे यह मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय केवल और केवल वादपत्र के अभिवचनों को देखा जाना होता है। अभिवचनों से बाहर जाकर किसी अन्य बिन्दु को प्रार्थना पत्र के निस्तारण का आधार नहीं बनाया जा सकता। आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के जवाब में वादीगण ने तथाकथित बयनामा को परजीवा छलकारी दस्तावेज बताया है। इस प्रकार अभिवचनों से बाहर जाकर आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद को अस्वीकृत किया है। उक्त विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–04–2001 भी प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त व विधि की रोशनी में विधिसम्मत नहीं है।

7– अतः विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16–02–2005 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–04–2001 व डिक्री दिनांक 19–06–2001 को अपास्त करते हुए प्रकरण विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी को जवाबदेही का अवसर दिया जाकर विधि के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करे। इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान इस न्यायालय के संज्ञान में यह आया है कि राज्य सरकार मूल

वाद में पक्षकार नहीं थी। इसलिए यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि 01–07–1964 को आवंटित हुयी थी और दिनांक 06–05–1968 को उसका विक्रय किया गया। इससे यदि आवंटन नियमों का उल्लघंन होता है तो राज्य सरकार स्वमेव कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति संबंधित जिला कलक्टर को प्रेषित की जाये।

8– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया) **(हेमन्त कुमार गेरा)**

सदस्य **अध्यक्ष**